न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 323/2020

प्रार्थीगण :

1. राजेश पुत्र भागीरथ
2. किशोर पुत्र भागीरथ

जातियान जाट निवासीगण ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. अशोक पुत्र सावलराम
2. केवलराम पुत्र बचनाराम
3. गंगा पुत्री शैतानराम
4. गुमान राम पुत्र शैतानराम
5. गोपाराम पुत्र बचनाराम
6. गोरखराम पुत्र चन्द्राराम
7. घेवरराम पुत्र बचनाराम
8. चन्द्राई पत्नि शैतानराम
9. चन्द्राराम पुत्र बचनाराम
10. जेठाराम पुत्र रामलाल
11. दयाराम पुत्र चन्द्राराम
12. पुखाराम पुत्र रामलाल
13. पन्नाराम पुत्र सावलराम
14. प्रेमी पुत्री शैतानराम
15. बाबुराम पुत्र चन्द्राराम
16. भीदामी पुत्री शैतानराम
17. शान्ति पुत्री शैतानराम
18. सागरराम पुत्र शैतानराम

    सभी जातियान माली निवासी भोपाजी की ढाणी उद्धेशनगर कोसाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
19. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मोहम्मद फारूख खान सिन्धी प्रार्थी की ओर से

श्री रामकिशोर सांखला अप्रार्थीगण सं. 2, 5, 6, 7, 9, 10,11, 13, 15

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय मे स्थित खसरा नं. 2174/1 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय स्थित है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त कार्य करते आ रहे है एवं प्रार्थीगण का रहवासीय मकान बना हुआ है जिसमे प्रार्थीगण परिवार सहित निवास करता है एवं प्रार्थीगण अपने पशुओ को भी रखता है। परन्तु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 2174/1 मे आने जाने हेतु कोई रास्ता सरकारी या राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रेकार्ड मे नही है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे काश्त कार्य हेतु व अपने खेत व रहवासीय घर मे आने व जाने के लिए व मवेशियो वगेराह व कृषि कार्यो के उपयोग मे आने वाले ट्रेक्टर लाने व ले जाने मे प्रार्थीगण के बच्चो को पढाई करने के लिए आने जाने मे बडी दिक्कत का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी माठ पर स्थित खसरा नं. 2177 रकबा 3.5192 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल जो खतोनी के खाता संख्या नया 430 व पुराना 340 जो अप्रार्थीगण संख्या एक से अठारह के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज है। प्रार्थी के खेत के दक्षिणी तरफ स्थित ख.नं. 2177 स्थित है एवं उसके आगे डामर सडक है जो पीपाड़ शहर से उद्धेशनगर कोसाणा को जाती है। उक्त अप्रार्थीगण का ख.नं. 2177 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे 20 फिट की चौडाई मे रास्ता दिलवाया जाये उपरोक्त मांग किये गये रास्ते को नजरी नक्शे मे मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आने जाने हेतु रास्ते कि अति आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण के उपरोक्त ख.नं. 2174/1 मे रहवासीय मकान बना हुआ है जहा पर प्रार्थीगण परिवार व मवेशियो सहित निवास करता है। प्रार्थी के आने जाने का कोई रास्ता नही है एवं प्रार्थी के बच्चो को पढाई के लिए आने जाने मे भारी दिक्कत का सामना करना पडता है व प्रार्थी के मवेशी पानी के बगेर प्यासे मरने की स्थिति मे है एवं पडोसी खेतो के खातेदार हमेशा प्रार्थीगण के साथ घर से निकलते वक्त लडाई झगडा व गाली गलोच करते है परन्तु प्रार्थी के उक्त खेत मे आने जाने का रास्ता नही होने की वजह से प्रार्थी को भारी दिक्कत का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त कानून का सहारा लेना पड रहा है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा मे स्थित ख.नं. 2177 के पश्चिमी तरफ वाली माठ के सहारे-सहारे 20 फिट

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

चौडाई मे रास्ता दिलवाया जाने के आदेश फरमावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्शित करवाये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्राथी सं. एक से अठारह की ओर से वकील रामकिशोर सांखला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी संख्या एक से अठारह की ओर से वकील रामकिशोर सांखला ने जवाब पेश किया है कि प्रार्थीगण ने इस पद को मनगढत रूप से कथित किया है क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा भूमि ख.नं. 2174/1 की भूमि पूर्व मे मूंल खसरा नम्बर 2174,2176,2175 की शामलाती सहखातेदारी भूमि थी जिसमे खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा के तहत ख.नं. 2174/1 की भूमि प्रार्थीगण के बंट मे रखी लेकिन उक्त बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने का रास्ता विद्यमान होने से बंटवाडा मे चलायमान रास्ते को इन्द्राज नही किया गया जबकि ख.नं.2176 डामर सडक से नजदीक स्थित है लेकिन फिर भी प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्य अंकित कर न्यायालय हाजा को भ्रम मे रखते हुए ख.नं.2176 से रास्ते की मांग नही करके अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2177 से नया रास्ता निकालने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पद संख्या तीन सही होने से स्वीकार से है। पद संख्या चार का जवाब इस कदर है कि प्रार्थीगण के खेत दक्षिणी माठ पर अप्रार्थीगण का खातेदारीसुदा खेत ख.नं. 2177 स्थित है एवं उसके आगे डामर सडक स्थित है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा ख.नं. 2177 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता की मांग सरासर नाजायज है क्योंकि प्रार्थीगण के द्वारा मांगे गये रास्ते पर अप्रार्थीगण के पक्के निर्माण है तथा अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान व दुकाने बनी हुई है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत से किसी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2177 की भूमि से रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रार्थीगण के खेत दक्षिणी माठ के चिपते ही ख.नं. 2176 की भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की पूर्व मे संयुक्त खातेदारी कब्जासुदा जमीन रही

है तथा ख.नं. 2176 व 2109 की भूमि से रास्ते की मांग नही करके दुर्भावनावश अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2177 से जहां पर पक्के मकान व दुकाने बनी हुई है वहां से रास्ते की मांग की है जो सरासर नाजायज है क्योकि ख. नं. 2176 व 2109 के खातेदारान प्रार्थीगण के परिवारजन है इसलिए स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रार्थीगण को हैरान परेशान एवं नुकसान कारित करने की नियत से प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे। पद संख्या पांच मे वर्णित तमाम तथ्य मिथ्या, बनावटी होने से अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु चिरकाल से पीढीयो से पिछले करीबन 100 वर्षो से धुम रास्ता साथीन से पीपाड़ जाने वाली डामर सडक से मिलने वाले कटाणी रास्ते के पूर्व दिशा की तरफ रास्ता विद्यमान है जो प्रार्थीगण के शामलाती कुंए से होकर आगे प्रार्थीगण के खेत तक आता है जो रास्ता पीढीयो से विद्यमान है तथा आज भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते का आवागमन के रूप मे उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है एवं रास्ता मौके पर रास्ते के रूप विद्यमान है। प्रार्थीगण का आज दिन तक पीढीयो से विद्यमान रास्ते से आता जाता रहा है इस प्रकार प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत से नया रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जिसे खारिज फरमाया जावे। पद संख्या छः का जवाब इस कदर है कि प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत से नया रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे मांगे गये रास्ते पर अप्रार्थीगण के मकान बने हुए है जिसमे अप्रार्थीगण परिवार सहित निवास करते है एवं अप्रार्थीगण की दुकाने बनी हुई है इसलिए प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण के पक्के निर्माण ध्वस्त करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कतई मेंटनेबल नही है क्योकि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय हाजा से समक्ष नही आये है यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

से नया रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को लाखो रूपये का नुकसान होगा जिसका मुल्यांकन रूपयो पैसो मे आंका नही जा सकेगा। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2174/1 मे आने जाने हेतु पीढीयो से पिछले 100 वर्षो से कायम रास्ता विद्यमान है जो प्रार्थीगण की पूर्व मे संयुक्त खातेदारी की जमीन मे मोजुद है जो भूमियां कटाणी रास्ते व डामर सडक से नजदीक स्थित है परन्तु प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण की भूमि खराब करने की नियत से नये रास्ते की मांग की है इसलिए प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने से नया रास्ता प्रार्थीगण प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2174/1 की भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2176 व 2109 की भूमि के पश्चिम माठ पर स्थित ख.नं. 2176 व 2109 की भूमि के खातेदारान प्रार्थीगण के परिवारजन है इसलिए प्रार्थीगण ने ख.नं. 2176 व 2109 की भूमि से रास्ते की मांग नही की जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे मांगे गये रास्ते एवं ख.नं. 2176 व 2109 मे से प्रार्थीगण के खेत तक रास्ते की दूरी समान है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के सादर आदेश फरमावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2177 रकबा 3.5192 हैक्टयर की पश्चिमी मेढ़ के सहारे रास्ते की मांग की है । खसरा नम्बर 2177 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में दयाराम पुत्र चन्द्राराम जाति माली का 30*23 फीट का पक्का मकान 14 फीट ऊचाई निर्माणाधीन है तथा उत्तरी पश्चिमी कोने में 18*18 वर्गफीट केवलराम पुत्र बचनाराम का कमरा बना हुआ है जिस पर टीनशेड की चद्दरे लगी हुई है जिसमें केवलराम निवास कर रहा है । खसरा नम्बर 2177 की पूर्वी तरफ मेढ़ के पास 15 फीट को छोड़कर जेठाराम पुत्र रामलाल, पुखाराम पुत्र रामलाल के दो पक्के मकान बने हुए है । खसरा नम्बर 2174/1 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2177 के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है । प्रार्थी वर्तमान में उत्तरी दिशा से अन्य खेतो में

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

से होकर आता जाता है । खसरा नम्बर 2176, 2175 व 2174 में शामलाती भूमि थी पूर्व में उक्त खातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया था । वादी ने रास्ते की मांग की है उस जगह दक्षिण कोने में एक मकान निर्माणाधीन है तथा उत्तर दिशा में कमरा बना हुआ है तथा केवलराम निवास कर रहा है । व कमरे के पास दीवार निकाली गयी है । प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 132 गट्टा तथा चौड़ाई 2 गट्टा कुल रकबा 13 बिस्वा यानि 0.1051 हैक्टयर बनता है । खसरा नम्बर 2177 असिंचित भूमि है तथा कोसाने से उद्धेशनगर जाने वाली डामर सड़क से विपता है । प्रस्तावित रास्ता ग्राम साथीन के खसरा नम्बर 2176, 2175, व 2174 से सहखातेदारी में कुल रकबा 0.10 हैक्टयर की वर्तमान DLC दर राशि रूपये 236184/– से 23987/– रूपये कीमत बनती है । जिसकी दुगुनी राशि 47974/– रूपये बनती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 09.11.2020 का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 2174/1 आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2177 में से मार्क A से B से 0.1051 हैक्टयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है । जो सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है ।

अतः राजस्व ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 2174/1 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2177 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 09.11.2020 लाल स्याही से दर्शाये मार्क A से B के कुल क्षैत्रफल 0.1051 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 23987/– रूपये बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 47974/– रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 47974/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 47974/– रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 09.11.2020 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)